सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 358 राँची, शुक्रवार, 16 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 जून, 2023

संख्या-16/प्र0सु0-02-04/2013 का० 3410--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या- 5637, दिनांक- 25.06.2015 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **'झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015'** का गठन किया गया ।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार को आधार प्रमाणीकरण शुल्क में इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि राज्य सरकार, संबंधित योजना को आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करें।

3. आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) निम्नवत् है-

"seeking authentication for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe."

4. सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम- 4 निम्नवत् है :-

'प्रस्ताव तैयार करना- नियम-3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।'

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त AEBAS (आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली) को आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत झारखण्ड के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 358 - 50